

कोषागार कार्यालय,

आयकर पैन न०.....

सिविल/शिक्षा

फार्म संख्या 8 (1)

पेंशनभोगी द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु प्रमाण पत्र
(अनुच्छेद 17 देखा जाए)

1. जीवित होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने पेंशनभोगी / खाता धारक
श्री/श्रीमती
पेंशनर/खाता धारक (पेंशनभोगी का नाम) जो पेंशन भुगतानादेश
के हस्ताक्षर संख्या...../ बैंक खाता संख्या.....
का धारक है, को स्वयं देखा है और यह कि वह आज की तारीख में जीवित है।
हस्ताक्षर / हस्ताक्षर.....
अधिकृत अधिकारी का नाम..... / शाखा प्रबन्धक का नाम.....
..... /
नमूना हस्ताक्षर संख्या.....
स्थान..... बैंक का नाम.....
दिनांक.....

फार्म संख्या 8 (2)

2. रोजगार रहित होने संबंधी प्रमाणपत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करके/बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किए रोजगार/वाणिज्यिक रोजगार स्वीकार किया है/स्वीकार नहीं किया है। (उ०प्र० सेवा के प्रथम श्रेणी के अधिकारी द्वारा सेवानिवृत्ति के प्रथम दो वर्षों में दिया जाना है)

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करके/बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किए भारत सरकार के परिधि के बाहर या किसी भी सरकार के अधीन किसी प्रकार का रोजगार स्वीकार किया है/स्वीकार नहीं किया है, (केवल उत्तर प्रदेश सेवा के प्रथम श्रेणी के अधिकारी द्वारा दिया जाना है।)

स्थान..... हस्ताक्षर.....
दिनांक..... पेंशनभोगी का नाम.....

फार्म संख्या 8 (3)

3. पुनर्विवाह/अविवाहित होने का प्रमाणपत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैं विवाहित नहीं हूँ/मैंने पिछले एक वर्ष के अन्दर विवाह नहीं किया है।
या

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने पुनर्विवाह नहीं किया है तथा ऐसा करने पर मैं कोषाधिकारी को सूचित करूँगा/करूँगी।

स्थान..... हस्ताक्षर.....
दिनांक..... पेंशनभोगी का नाम.....
पति/पत्नी का नाम..... पेंशन भुगतान सं०.....
स्थायी/वर्तमान पता..... बैंक का नाम/शाखा/खाता सं०.....
.....
टेलीफोन/मो० न०.....
ई-मेल.....

पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की जन्म तिथि.....

पेंशनर द्वारा सेवा में प्रथम बार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि.....

“जो लागू न हो उसे काट दिया जाये”

नोट : कृपया कोषागार अभिलेखों में उपलब्ध हस्ताक्षर के अनुरूप ही हस्ताक्षर करने का कष्ट करें।